न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लालाराम बनाम श्रीमती सोनल मीना तहसीलदार वगै0 प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा नं0 19/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 व 04 उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 03.व 04 को सुना गया। बाद अवसर प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण के न्यायालय मे उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 03 व 04 द्वारा बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोप के तथ्य सरासर झूठे एवं बनावटी है जो सत्य से परे है। प्रार्थीगण का उद्देश्य उक्त वाद को ज्यादा से ज्यादा समय तक लम्बित रखने का है। उक्त प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार दौसा के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार दौसा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रकरण को स्थानान्तरण करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य पत्रावली मे संलग्न नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक रूप से विलंब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार दौसा मे विचाराधीन प्रकरण रिमाण्ड नामान्तकरण सं0 22 दिनांक 13.06. 1990 को दीगर न्यायालय को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official